



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2007/चैत्र 10, 1929

No. 347]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2007/CHAITRA 10, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2007

का.आ. 506(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में “दस वर्ष छह महीने” शब्दों के स्थान पर “ग्यारह वर्ष की अवधि के लिए” शब्द रखें जायेंगे।

[फा. सं. जैड 20018/4/2002-सी.पी.ए.]

आर. कौ. वैश, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**— तमिलनाडु राज्य के लिए परिस्थितिकी-क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठित करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का. आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात् इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 710(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1996; का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई, 1998; का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998; का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999; का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001; का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी, 2002; का.आ. 348(अ), तारीख 28 मार्च, 2002; का.आ. 1040(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002; का.आ. 1063(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2004; का.आ. 1432(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004; का.आ. 1639(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006 और का.आ. 50(अ), तारीख 17 जनवरी, 2007 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2007

**S.O. 506(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, for the words “for a period of ten years and six months”, the words “for a period of eleven years” shall be substituted.

[F.No.Z-20018/4/2002-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

**Note :—** The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary vide numbers S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended vide S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996; S.O. 590(E), dated the 15th July, 1998; S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998; S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001; S.O. 130(E), dated the 28th January, 2002; S.O. 348(E), dated the 28th March, 2002; S.O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004; S.O. 1432(E), dated the 31st December, 2004; S.O. 1639(E), dated the 29th September, 2006 and S.O. 50(E), dated the 17th January, 2007.